संख्या-187/2018/2269/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त 2018

विषयः-राजकीय पी0सी0एस0 जे0 कोंचिग सेन्टर, इलाहाबाद के भवन किराया वृद्धि के सम्बन्ध में अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1093/स0क0/विकास-कोचिंग-99/2016-17, दिनांक-21.10.2016 एवं पत्रांक-327/स0क0/विकास-कोचिंग-99-इलाहाबाद/2018-19, दिनांक-11.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पी0सी0एस0(जे0) कोचिंग सेन्टर, इलाहाबाद के भवन किराया दिनांक-01.01.1999 से दिनांक-31.08.2013 तक जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रू0-1214614.00 (रू0 बारह लाख चौदह हजार छः सौ चौदह मात्र) के भुगतान किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशालय द्वारा रेट अनुबन्ध प्रमाण पत्र में किराया बढ़ाने से सम्बन्धित प्राविधानों का अध्ययन कर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगेः-

क्र.सं	किराया वृद्धि की तिथि /अवधि	भुगतान की गयी दर (प्रति वर्ग फुट)	जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर (प्रति वर्ग फुट)	छर का अन्तर (प्रति वर्ग फुट)	कार्यालय का क्षेत्रफल	वांछित धनराशि
1	01.01.1999 से 31.12.2002 तक	2.80	3.90	1.10	3359	177355.00
2	01.01.2003 से 31.12.2006 तक	2.80	4.90	2.10	3359	338587.00
3	01.01.2007 से 01.08.2013 तक	2.80	5.40	2.60	3359	698672.00
	योग					**1214614.00**

(रू0 बारह लाख चौदह हजार छः सौ चौदह मात्र)

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-187/2018/2269(1)/26-3-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।